ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

प्रसीन अधिकारी : श्रीमान् श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
स्व वाद संख्या : 196/2022
CMS NO. : 2022/374

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
मोना देवी बेवा फतेहराज महेश्वरी पुत्री फतेहराज नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता मोना देवी जातियान कुमावत निवासीगण– बेरा खारचिया, बिरोल, तहसील– जैतारण जिला ब्यावर राज0।		1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण। 2. हल्का पटवार बिरोल, तहसील जैतारण।

स्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 24/11/2022

स्थितः– 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण।
2. पैरोकार, सरकार राज, तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 28/08/2024**

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती र्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू–राजस्व नियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की दारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बिरोल पटवार हल्का बिरोल भू लेख निरीक्षक जैतारण जिला पाली में स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है रा नम्बर 348 रकबा 3–05 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 350 रकबा 9 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 351/2 रकबा 23–15 बीघा किस्म प्रथम, खसरा नम्बर 353/1 रकबा 5–06 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा कुल रकबा 33–15 बीघा हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है उक्त आराजी की कृषि भूमि में वादीया संख्या मोना देवी के पति फतेहराज पुत्र पेमा के फौत होने के बाद वादीया मोना देवी इसकी जायन्दा सन्तान हिंमाशु, पियुष एवं नेत्रवरी का नाम जरिये फौतेदगी शन संख्या 1417 दिनांक 01.05.2018 को हल्का पटवारी बिरोल द्वारा यानि ादी संख्या 2 द्वारा राजस्व रेकर्ड में विरासत के रूप में अमल दरामद किया गया प्रमाणित प्रतिलिपि म्यूटेशन संख्या 1417 एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि 2073 से 2076 तक की वादपत्र के साथ संलग्न हैं। जो वादपत्र का एक माना जायें। वादीगण उक्त आराजी मय कृषि भूमि किसी रोक टोक के पूर्वक राजस्व रेकर्ड में दर्शाये अपने हिस्से अनुसार सौ पर काश्त करते हैं। उक्त जी कि कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी वादीया मोना देवी के पति राज पुत्र पेमा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से फौती म्यूटेशन संख्या 1417 के वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अमल दरामद किया राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी म्यूटेशन अमल दरामद करते समय वादीया संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:45 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

महेश्वरी कि जगह नैत्रवरी दर्ज कर दिया। जो गलत दर्ज कर दिया। जो रोग ऐन्ट्री है। इसके नाम को नैत्रवरी की जगह महेश्वरी के नाम से सुधार किया जाना आवश्यक है। इसलिये वादीया संख्या 2 नैत्रवरी की जगह दुरूस्त किया जाकर महेश्वरी नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमायें। सबूत के रूप में महेश्वरी के स्कूल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटू प्रतिलिपी इस वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। उक्त आराजी कि कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड कि जमाबंदी को कम्प्यूटर में चढ़ाते वक्त एवं ऑन लाईन करते वक्त वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में मोना देवी पत्नि फतेहराज दर्ज हैं इसकी जगह जमाबंदी ऑन लाईन करते समय मैना देवी पत्नि फतेहराज दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया। जो एक रोग ऐन्ट्री है। इसको सुधार किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्वत् 2073 से 2076 एवं सम्वत् 2077 से 2080 तक लगातार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण मोना देवी एवं महेश्वरी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज हैं जिसे दुरुस्त किया जाकर मैना देवी पत्नि फतेहराज की जगह दुरुस्त किया जाकर मोना देवी पत्नि फतेहराज एवं महेश्वरी पुत्री फतेहराज दर्ज किया जायें। वादीया संख्या 2. वादीया संख्या की जायन्दा पुत्री है। इसका नाम महेश्वरी पुत्री फतेहराज है। जो इसकी जगह नेववरी पुत्री फतेहराज दर्ज कर दिया। जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 तक एव सम्वत् 2077 से 2000 तक लगातार गलत दर्ज हैं। जो रोंग ऐन्ट्री हैं। इसलिये म्यूटेशन संख्या 1417 रद्द घोषित किया जाकर इसे सुधार कर इसकी जगह महेश्वरी पुत्री फतेहराज दर्ज करने का आदेश फरमावें। सबूत के रूप में महेश्वरी का आधार कार्ड, स्कूल का प्रमाण पत्र व राशन कार्ड एवं जनआधार कार्ड की फोटू प्रति इस वादपत्र के साथ संलग्न हैं जो वादपत्र का एक भाग माना जावें। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड एवं जमाबंदी में मोना देवी की जगह मैनादेवी एवं महेश्वरी की जगह नैत्रवरी गलत दर्ज होने से वादीगण को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने से बैंक से ऋण प्राप्त करने एवं कॉपरेटिव सोसायटी से खाद बीज लेने एवं बैंक से के.सी.सी. बनवाने में एवं विद्युत कनेक्शन लेने और अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में वादीगण को परेशानी का सामना करना पड रहा हैं न ही वादीगण बैंक से ऋण एवं सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसलिये वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में वादीगण अपना नाम मैनादेवी की जगह मोना देवी एवं नैत्रवरी की जगह महेश्वरी दुरुस्त करवाने के अधिकारी हैं इसलिये वादीगण की तरफ से वादपत्र बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती का प्रतिवादीगण के विरूद्ध श्रीमान्जी के समक्ष सादर पेश हैं। जो आज ही प्रतिवादीगण के नोटिस डिस्पेन्स विद् किये जाने का आदेश फरमायें। वादीगण का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चला आ रहा हैं परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम मैनादेवी व नैत्रवरी गलत इन्द्राज हो जाने से अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं इसलिये [illegible] के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादीगण अपना नाम सही एवं दुरुस्त करवाने हेतु पूर्व में श्रीमान् तहसीलदार जैतारण को लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 को पेश कर वादीगण अपना नाम सही एवं दुरुस्त करने का निवेदन किया जो प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या एक तहसीलदार जैतारण ने मार्क करके अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:45 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या दो हल्का पटवारी बिरोल को प्रेषित किया। जिस पर किसी प्रकार कि कार्यवाही नहीं कि गई। वादीया ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो कहा कि आपको न्यायालय में रेकर्ड दुरूस्ती का दावा करना पडेगा। इसलिये वादीगण ने यह वादपत्र अपने नाम की दुरूस्ती की घोषणा करवाने बाबत् बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण के अलावा सहहिस्सेदार अन्य खातेदार हैं परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया क्योंकि वादीगण को उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं एवं न ही अन्य सहखातेदारान के वादीगण के इस वादपत्र के कोई हिस्से को प्रभावित हो रहे हैं एवं वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से प्रतिवादी संख्या 2 के मना करने पर यह वादपत्र वादीगण की तरफ से प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया जा रहा हैं। वादपत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित उक्त आराजी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम मैनादेवी व नैत्रवरी की जगह दुरूस्त किया जाकर जरिये घोषणा के मोना देवी व महेश्वरी दर्ज नहीं किया जाता हैं तो वादीगण को परेशानी का सामना करना पडेगा वादीगण के नाम जरिये दुरूस्ती के सही नहीं किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी वादीगण को बार बार कानूनी कार्यवाही करनी पडेगी। जिससे मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिर्डिंग्स होगी। विविध प्रकार के मुकदमे बाजी होगी। जिससे वादीगण को खर्चे से जैर बार होना पडेगा इसलिये सरकारी दस्तावेज में वादीगण का नाम मोना देवी व महेश्वरी दर्ज होने से प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू वादीगण के हक में साबित हैं इसलिये वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये घोषणा के दुरूस्त करने का आदेश फरमावें। प्रतिवादीगण तहसीलदार जैतारण व हल्का पटवारी पाटवा राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं अधिकारी हैं इनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व में दो माह का नोटीस धारा 80 (2) सी.पी.सी. का नोटिस देने का मेण्डेटरी का प्रावधान हैं परन्तु वादीगण का वादपत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का हैं उक्त प्रावधान के तहत नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादपत्र का मकसद भी समाप्त हो जायेगा इसलिये बिना नोटिस दिये ही यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किये जा रहा हैं। वादपत्र प्रस्तुत करने की उक्त प्रावधान कि तहत स्वीकृति लेने का प्रार्थना पत्र अलग से साथ संलग्न हैं। बिनाय दावा वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध नाम दुरूस्त करवाने हेतू दिनांक 13.06.2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने पर तहसील कार्यालय से दिनांक 10.06.2022 एवं हल्का पटवारी से दिनांक 15.11.2022 को नकल प्राप्त करने पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद एवं श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से अन्दर म्याद श्रीमान् जी के समक्ष यह वादपत्र पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण पैरोकार सरकार राज ने हस्तगत वाद में बिन्दुवार जबाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि यह सही है कि ग्राम बिरोल के खसरा नम्बर 348, 350, 351/2, 353/1 वादीगण की सहखातेदारी भूमि है। उक्त खसरा नम्बरान में वादीगण का नाम जरिये विरासत नामान्तरण 1417 दिनांक 01-05-2018 से इन्द्राज हुआ था। नामान्तरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:45 IST
Reason: Self Attested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

417 दिनांक 01-05-2018 के जरिये नैत्रवरी पुत्री फतेहराज एवं मौनादेवी पत्नी फतेहराज का नाम दर्ज हुआ है। यह सही है कि DIRLMP जमाबन्दी बनाते वक्त मौनादेवी के स्थान पर मैनादेवी दर्ज हो गया एवं सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, जनआधार के आधार पर नैत्रवरी के स्थान पर वास्तविक नाम महेश्वरी होना पाया गया है। अतिरिक्त कथनों में ग्राम बिरोल के खसरा नम्बर 348, 350, 351/2, 353/1 में फतेहराज पुत्र पेमा की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरण संख्या 1417 दिनांक 01-05-2018 से मोनादेवी पत्नी फतेहराज एवं नैत्रवरी पुत्री फतेहराज वादीगण का नाम इन्द्राज हुआ थ जिसमें नयी जमाबन्दी DIRLMP की बनाते वक्त मोनादेवी के स्थान पर मैनादेवी दर्ज हो गया एवं नैत्रवरी का वास्तविक नाम महेश्वरी होने के कारण यह वाद दायर किया गया है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, प्रतिवादी जवाबदावा तथा साक्ष्य शपथ का गहनता से अध्ययन किया तथा बहस विद्वान वकील प्रार्थी अधिवक्ता व सरकार पैरोकार राज. पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बिरोल में खसरा नम्बर 348 रकबा 3-05 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 350 रकबा 1-09 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 351/2 रकबा 23-15 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 353/1 रकबा 5-06 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 4 कुल रकबा 33-15 बीघा आई हुई हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। वादीगण संख्या एक पति एवं वादीगण संख्या दो के पिता के मृत्यु उपरांत स्वीकृत विरासत नामान्तरण संख्या 1417 दिनांक 01-05-2018 द्वारा लिपिकीय भूल व सहवन से वादीगण संख्या दो का नाम माहेश्वरी के स्थान पर नैत्रवरी दर्ज हो गया तथा उक्त खसरान् को DIRLMP के तहत जमाबन्दी ऑनलाईन करते समय वादीगण संख्या एक का नाम मोनादेवी के स्थान पर मैनादेवी सहवन से दर्ज हो गया जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अतः वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में वादीगण के गलत व त्रुटिपूर्ण नाम के स्थान उनके सही एवं वास्तविक नाम दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है कि ग्राम बिरोल के खसरा नम्बर 348, 350, 351/2, 353/1 वादीगण की सहखातेदारी भूमि है। उक्त खसरा नम्बरान में वादीगण का नाम जरिये विरासत नामान्तरण 1417 दिनांक 01-05-2018 से इन्द्राज हुआ था। नामान्तरण संख्या 1417 दिनांक 01-05-2018 के जरिये नैत्रवरी पुत्री फतेहराज एवं मोनादेवी पत्नी फतेहराम का नाम दर्ज हुआ है। यह सही है कि DIRLMP जमाबन्दी बनाते वक्त मोनादेवी के स्थान पर मैनादेवी दर्ज हो गया एवं सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:45 IST
Reason: Self Attested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

नआधार के आधार पर नैत्रवरी के स्थान पर वास्तविक नाम माहेश्वरी होना पाया या।

. वादीगण ने वादपत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र PW-1 पेश कर थन किया है कि वादीगण संख्या दो का सही एवं वास्तविक नाम माहेश्वरी पुत्री तेहराज है लेकिन वादीगण संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या दो के पिता फतेहराज त्र पेमा की मृत्यु उपरांत स्वीकृत विरासत नामान्तरण संख्या 1417 दिनांक 1-05-2018 को दर्ज करते समय सहवन से वादीगण संख्या दो माहेश्वरी पुत्री तेहराज के स्थान पर नैत्रवरी तथा उक्त वादग्रस्त खसरान् की जमाबन्दी DIRLMP के हत ऑनलाईन करते समय वादीगण संख्या एक का नाम मोनादेवी के स्थान पर हवन से मैनादेवी दर्ज हो गया जो कि गलत व त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है जिन्हें दुरूस्त किया ाना आवश्यक है। वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रदर्श-1 व प्रदर्श-2 ग्राम बिरोल के सरा नम्बर 348, 350, 351/2, 353/1 की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076, दर्श-3 ग्राम बिरोल का नामान्तरण रजिस्टर जिसमें विरासत से नामान्तरण संख्या 417 दिनांक 01-05-2018 स्वीकृत कर फतेहराज पुत्र पेमाराम के स्थान पर मांशु, पियुस पि० फतेहराज, नैत्रवरी पुत्री फतेहराज, मौनादेवी पत्नी फतेहराज, ान्शु, पियुश, नैत्रवरी ना0बा0 की वली माता मौनादेवी पत्नी फतेहराज कौम कुमार ा0 देह शेष खाता बदस्तुर खतौनी का अंकन है। प्रदर्श-4ए फतेहराज का मृत्यु माणपत्र, प्रदर्श-5ए मोना देवी का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श-6ए मोनादेवी का नआधार कार्ड, प्रदर्श-6ए वादीगण संख्या एक मोना देवी का आधार कार्ड, प्रदर्श-7ए दीगण संख्या 2 माहेश्वरी का आधार कार्ड प्रस्तुत किये जिससे यह स्पष्ट होता है कि दीगण संख्या एक का वास्तविक मोना देवी पत्नी फतेहराज व वादीगण संख्या दो ा वास्तविक नाम माहेश्वरी पुत्री फतेहराज है तथा वादग्रस्त आराजी के खसरान् 348, 50, 351/2, 353/1 के भू अभिलेख में वादीगण के नाम की प्रविष्टि गलत एवं टिपूर्ण प्रविष्टि है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि तगत वादपत्र में उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी एवं तहसीलदार जैतारण के बिन्दुवार ाब दावा से यह स्पष्ट होता हैं कि खातेदार फतेहराज पुत्र पेमा के मृत्यु उपरांत ीकृत नामान्तरण संख्या 1417 दिनांक 01-05-2018 से दर्ज प्रविष्टि नैत्रवरी पुत्री तेहराज तथा वादग्रस्त खसरान् की जमाबन्दी DIRLMP के तहत ऑनलाईन करते मय वादीगण संख्या एक का नाम मोनादेवी के स्थान पर सहवन से दर्ज मैनादेवी क त्रृटिपूर्ण एवं गलत प्रविष्टि है क्योकि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर तेदार दर्ज नेत्रवरी पुत्री फतेहराज का सही एवं वास्तविक नाम माहेश्वरी पुत्री तेहराज तथा मैनादेवी पत्नी फतेहराज का सही एवं वास्तविक नाम मोनादेवी पत्नी तेहराज है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित -अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादीगण स्वीकार र, जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:45 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत ारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 एवं धारा– 136, राजस्थान ू–राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया ाता है। सरहद मौजा बिरोल पटवार हल्का बिरोल में स्थित वादीगण की खातेदारी एवं ब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 3–05 बीघा, खसरा नम्बर 350 कबा 1–09 बीघा, खसरा नम्बर 351/2 रकबा 23–15 बीघा, खसरा नम्बर 353/1 कबा 5–06 बीघा के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के त्रुटिपूर्ण एवं शुद्ध नाम प्रविष्टि ***"नैत्रवरी पुत्री फतेहराज"*** तथा ***"मैनादेवी पत्नी फतेहराज"*** को लोपित करते हुए इनके स्थान खातेदारान् के सही एवं वास्तविक नाम प्रविष्टि ***माहेश्वरी पुत्री फतेहराज"*** तथा ***"मोनादेवी पत्नी फतेहराज"*** दर्ज करते हुए वादीगण को नके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है तथा न्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस र्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर खिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

र्णय आज दिनांक **28/08/2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

नज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
ईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगण :–

1. मोना देवी बेवा फतेहराज
2. महेश्वरी पुत्री फतेहराज
   नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
   माता मोना देवी जातियान
   कुमावत निवासीगण– बेरा
   खारचिया, बिरोल, तहसील–
   जैतारण जिला ब्यावर राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण।
2. हल्का पटवार बिरोल, तहसील जैतारण।

जस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती **मु0न0 :रा0वा0 स0: 196/2022**
न्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी **निर्णय व डिक्री दिनाँक : 28.08.2024**
धिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व जरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री सरकार राज ीकार प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त ंधन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी धिनियम– 1955 एवं धारा– 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी बित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बिरोल पटवार का बिरोल में स्थित वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा बर 348 रकबा 3–05 बीघा, खसरा नम्बर 350 रकबा 1–09 बीघा, खसरा नम्बर 51/2 रकबा 23–15 बीघा, खसरा नम्बर 353/1 रकबा 5–06 बीघा के भू अभिलेख बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम प्रविष्टि ***"नैत्रवरी पुत्री तेहराज"*** तथा ***"मैनादेवी पत्नी फतेहराज"*** को विलोपित करते हुए इनके स्थान खातेदारान् सही एवं वास्तविक नाम प्रविष्टि ***"माहेश्वरी पुत्री फतेहराज"*** तथा ***"मोनादेवी पत्नी तेहराज"*** दर्ज करते हुए वादीगण को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदारी ःतकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–... रीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख ***28/08/2024*** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:45 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		/	महनताना वकील		/
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		/	मुत्फरिक		
मिजानः-	06	-00	मिजानः-	-NIL-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:45 IST
Reason: SelfAttested